

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री अशोक कुमार

सरकार जरिये

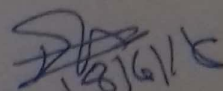
किशोरी इन्टरनेशनल स्कूल

लोक सूचना अधिकारी

पिलानी रोड चिडावा, झुझुनू।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 16 वर्ष 2018

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जों इस हुकम को तामिल में जारी हुए
18.6.2018	अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांत की अपील का अवलोकन किया गया अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 05.03.2018, को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उनके नियुक्ति आदेश क्रमांक 150-51 दिनांक 19.03.1991 कि सत्यापित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना हेतु निवेदन किया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उन्हें चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फिस रुपये 10/- अदा कर दिये गये हैं। लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सिरौही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं हैं। अतः अपीलांत की अपील इसी स्तर पर अस्वीकार की जाकर दाखिल दफ्तर की जाकर अपीलांत को निर्देश दिये जाते हैं कि वह चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील पेश करें, निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।  (बाबू लाल मोणा) जिला कलक्टर, सिरौही	